परिशिष्ट–क

उत्तराखंड शासन
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग– अनु0–01
संख्याः– 873 /XXXIV-1/2020–31/2014 टी0सी0–01
देहरादून, दिनांकः 21 सितम्बर, 2020

कतिपय शब्दों का संशोधन 1. उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2018 , (जिसे यहां आगे मूल नीति कहा गया है) में–

(1) जहां–जहां शब्द "सूचना प्रौद्योगिकी विभाग" आये हैं को स्थान पर शब्द "सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग" रख दिये जायेंगे।

अध्याय–4 का संशोधन 2. 2.मूल नीति के अध्याय–4 की सारणी आई0टी0 विभाग द्वारा, अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन में नया क्रमांक–7 निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात:-

7.	उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों एवं डार्क ग्रामों में दूरसंचार और ब्राडबैंड सुविधा प्रदान करने हेतु अनुदान/प्रोत्साहन	उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों एवं डार्क ग्रामों में दूरसंचार और ब्राडबैंड सुविधा प्रदान करने हेतु कुल पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure-CAPEX) पर 30% या रू0250 लाख, जो भी कम हो, की अनुदान/प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। परियोजना प्रस्ताव को राज्य के सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। संगठन/कंपनी/फर्म, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई0एस0पी0) एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी0एस0पी0) जो अनुदान/प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, वह अन्य संगठन/कंपनी/फर्म, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई0एस0पी0) एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी0एस0पी0), जो भविष्य में यह सेवा प्रदान करने का इरादा रखते हैं और जिनके प्रस्ताव सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित हैं, के साथ अवस्थापना ढांचे को साझा करने के लिए बाध्य होंगे। संगठन/कंपनी/फर्म, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई0एस0पी0) एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी0एस0पी0) पूंजीगत व्यय (CAPEX) को अनुपात में आपस में बांट सकते हैं।

परिशिष्ट "क" का संशोधन 3. मूल नीति के परिशिष्ट "क" के क्रमांक–13 ग में नयी प्रविष्टि सोलह निम्नवत अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात:-

(16) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई0एस0पी0) एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी0एस0पी0)

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

परिशिष्ट–ख

Government of Uttarakhand
Department of Information and Science Technology (Sec-01)
No.- 611 /XXXIV-1/2020-31/2014 TC-01
Dehradun, Dated: 19 September, 2020

Amendments of certain words

1. In the Information Technology Policy 2018 (hereinafter referred as the Principal Policy)-
Wherever the words 'Information Technology Department' occur, the word 'Department of Information and Science Technology "shall" be substituted.

Amendment of Chapter 4 – 2.

2. In principal policy in "additional fiscal incentives by IT department" table of chapter-4 new serial no-7shall be inserted as follows, namely:-

7.	Subsidy/Incentive for providing Telecommunication and/ or Broadband in Remote areas and dark villages of Uttarakhand.	A total subsidy/incentive of 30% or Rs.50 lakhs whichever is lower, on the total Capital Expenditure (CAPEX), shall be allowed as subsidy for providing Telecommunication and/ or Broadband in Remote areas and dark villages of Uttarakhand. Project proposal shall be approved by State Information and Science Technology Department. Organizations/Companies/Firms (Internet Service Providers (ISP)), and Telecommunication Service Providers(TSP)), that seek above subsidy shall be bound to share the infrastructure with other Organizations/Companies/Firms who also intend to provide Internet Services / Telecommunication Services in that area on a subsequent date and whose proposal has been approved by State Information and Science Technology Department. The Organizations, Companies / Firms may share the Capital Expenditure (CAPEX) cost amongst themselves as a ratio.

Amendment of Annexure "A"

3. In the Principal Policy is serial No-13 C of Annexure "A" new entry (XVI) shall be inserted as follows, namely:-
(xvi) Internet Service Providers(ISP) and Telecommunication Service Providers(TSP)

(Ramesh Kumar Sudhanshu)
Secretary